संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 07-09-2021**

आज दिनांक 07.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा सकुशल अपहृता बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महुली **श्री रणविजय सिंह** के नेतृत्व में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 260 / 2021 से संबन्धित अपहृता को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द। विदित हो कि उक्त अपहृता के अपहरण के संबन्ध में अपहृता के पिता की लिखित तहरीर पर दिनांक 01.09.2021 को थाना महुली पर मु0अ0सं0 260 / 2021 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था महिला संबन्धी अपराध के दृष्टिगत थाना महुली पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज उक्त अपहृता को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया, इस सराहनीय कार्य हेतु परिजनों द्वारा थाना महुली पुलिस व संतकबीरनगर पुलिस का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया गया।

बरामद करने वाली टीम - उ0नि0 श्री नत्थू प्रसाद, म0कां0 सुनीता गौड़।

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ अभियुक्त नाम पता अमीदुल्लाह उर्फ सोनू पुत्र मुबारक हुसैन निवासी लेड़ुआ-महुली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम जमोरिया कला के पास ढलनिया पुल के पास से गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 237 / 2021 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद, हे0का0 नूरुद्दीन, हे0का0 नासिर, कां0 रत्नेश सिंह, कां0 संजीव यादव।

संतकबीरनगर पुलिस

215 अदद नशीली गोली के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहम्मद मंसूर उर्फ सद्दाम पुत्र अशरफ निवासी लेडुआ-महुली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 215 अदद नशीली गोली अलप्राजोलम के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 238 / 2021 धारा 8 / 21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद, हे0कां0 नूरुद्दीन, हे0का0 नासिर, कां0 रत्नेश सिंह, कां0 संजीव यादव।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 - पवन उर्फ लक्ष्मण पुत्र अर्जुन निवासी नकहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 2 – जमुना बेलदार पुत्र स्व0 बसंत निवासी बहराडाडी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 441 / 2021 व 442 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी जगदीशपुर उ0नि0 श्री लाल बिहारी निषाद, उ0नि0 श्री अमर नाथ यादव, उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 सुमित विश्वकर्मा।

1 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान जामडीह तिराही के पास से रहमतुल्लाह पुत्र सिद्दीक निवासी जूरी थाना कोतवली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 1 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 290 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- चौकी पचपोखरी उ0नि0 श्री कामेश्वर कुमार मिश्र, हे0का0 रमेश यादव, का0 धीरज यादव।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 21 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3307 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3307 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत तिजला से इवेन्ट संख्या 01261 से कालर ने किसी बात को लेकर मारपीट / विवाद होने व मारपीट के होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 04 मिनट में पहुंचक विवाद को शांत कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रामचन्द्र सिंह, आ0 विनोद भारती, हो0गा0 सुरजीत कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनो से 92000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनो से 92000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।